बिहार सरकार
परिवहन विभाग

अधिसूचना

पत्रांक–02/शमन–07 (A)/2015 परि० पटना, दिनांक–

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के पत्रांक–1092 दिनांक–29.12.2015 द्वारा मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा–200 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए पटना जिलान्तर्गत निम्नलिखित पुलिस पदाधिकारियों को निर्गत होने की तिथि से अगले 6 (छः) माह के लिए मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 177, 179, 180,181,182,183,184,185,186,187,188,189, एवं 190 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट दण्डनीय अपराधों के लिए शमन की शक्ति प्रदान की गयी थी, जिसकी अवधि दिनांक 18.07.2016 तक ही थी, जो अब समाप्त हो चुकी है।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के पत्रांक 7011 दिनांक 13.07.2016 के द्वारा यातायात पुलिस में पदस्थापित पुलिस पदाधिकारियों को मोटरवाहन अधिनियम, 1988 की धारा–200 के तहत शमन की शक्तियाँ भूतलक्षी प्रभाव से अगले छः माह तक प्रदान करने की मांग की गयी थी।

उक्त के आलोक में दिनांक 19.07.2016 से दिनांक 18.01.2017 तक मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 177 एवं 179–190 तक विनिर्दिष्ट अपराधों के लिए शमन की शक्ति प्रदान करते हुए पटना जिलान्तर्गत पटना नगर में प्रतिनियुक्त सभी परिचारी यातायात/परिचारी प्रवर यातायात/पुलिस निरीक्षक/पुलिस अवर निरीक्षक, यातायात, पटना को मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा–200 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए शमन की शक्ति प्रदान की जाती है, तथा उनके द्वारा उक्त धाराओं में दिनांक 14.10.2016 तक किये गये कार्यो को भूतलक्षी प्रभाव से विनियमित किया जाता है।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से।
ह0/–
प्रधान सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 02/शमन–07(A)/2015 परि० / पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि : अधीक्षक, राजकीय मुद्राणालय, गुलजारबाग, पटना द्वारा संयुक्त सचिव, ई. गजट कोषांग, वित विभाग, बिहार पटना को सी.डी. सहित सूचनार्थ एवं राजपत्र के आगामी साधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

ह0/–
प्रधान सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– पत्रांक–02/शमन–07(A)/2015 परि० 6199 /पटना, दिनांक– 18/10/16

Email

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, गृह (आरक्षी) विभाग, बिहार /प्रमंडलीय आयुक्त, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/वरीय पुलिस अधीक्षक,पटना/पुलिस अधीक्षक, यातायात, पटना/शक्ति प्रदत्त सभी संबंधित पदाधिकारी/विभागीय मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/सभी संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, परिवहन प्राधिकार/सभी जिला परिवहन पदाधिकारी/सभी मोटरयान निरीक्षक/सभी प्रर्वत्तन अवर निरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17.X.16
प्रधान सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।